

भाग-2
(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7-परियोजना/स्कीम का नाम	प्रयागराज जनपद के अन्तर्गत हण्डिया- प्रयागराज रोड एस0एच0-106 के किमी0 236.00 (हैनेज 235.040) के दायाँ पट्टी पर गाटा नं0-106 याम- सराय दासू उर्फ हरीपुर परगना केवाई तहसील हण्डिया, जिला- प्रयागराज में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0 द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.3288 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख) जिला	प्रयागराज
(ग) वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज
(घ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र(हे0में)	0.3288 हे0
(ङ) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(च) हरियाली का घनत्व	0.1
(छ) प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंघाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0ए0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	संलग्न है
(ज) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवर्धनशीलता पर संक्षिप्त रिप्पणी।	सामान्य
(झ) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	—
(ञ) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी काशीखोर आदि का भाग है।(यदि हाँ क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की रिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(ट) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्योरा दें।	नहीं।
(ठ) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्योरा संक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2, में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरा के साथ गदवार संरक्षित क्षेत्र क्या है।	0.3288 हे0 संरक्षित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य पर ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्वर्णिम का ब्यौरा	संलग्न।
क-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	संलग्न।
ख-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न
ग-रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्वर्णिम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	रूपये— 365549.00
घ-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
ड-प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11- वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7(ड, ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें)	वन विभाग
12-विभाग/जिला प्रोफाइल	5,28,468.00 हे०
क-जिले का भौगोलिक क्षेत्र	21532.6661 हे०
ख-जिले का वन क्षेत्र	1-221.0338 हे० (R. F. 6 मामले)
ग-मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	2-62.845148 हे० (P. F. 78 मामले)
घ-1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	626.6933 हे०
1-दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	370.0883 हे०
2-वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे०
3-अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	626.6933 हे०
1-वन भूमि पर	370.0883 हे०
2-वनेत्तर भूमि पर	256.605 हे०
13-प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संसृति की जाती है।

स्थान:-प्रयागराज।

(महोदय/कोजलगी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।